# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी आबकारी संख्या ..1217/2017 .....जिला..... जैसलमेर.....

उनवान – सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति सिख, जिला–पटियाला (पंजाब) बनाम राजस्थान सरकार, अजमेर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07.09.2017 | **खण्डपीठ**<br>**श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष**<br>**श्री राजीव चौधरी, सदस्य**<br><br>अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त आबकारी राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प.29(बी)(17)पी.एस./वाहन/आब/2017/1765 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (जिसे आगे '**आबकारी अधिनियम**' कहा जायेगा) की धारा 9ए(3) के तहत् प्रस्तुत की गयी है। वाहन संख्या पी.बी.–11 ए.एस. 9591 को अधिहरण से मुक्ति की एवज में रूपये 8,00,000/– जुर्माना राशि का निर्धारण किया गया है।<br><br>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री भगवान सिंह तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा की बहस प्रकरण के ग्राहिता बाबत् सुनी गयी। उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।<br><br>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ आबकारी अधिनियम की धारा 9(ए) के तहत् कुल मांग राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा का सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर रजिस्ट्री द्वारा इस कमी का Defect लगाया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त रिवीजन आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध है तथा रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये कुल मांग राशि का 75 प्रतिशत जमा करवाये जाने की विधिक अनिवार्य नहीं है। जबकि विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत सवाईमाधोपुर ऑयल व पल्सेज इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टांत (2001) 3 डब्ल्यू.एल.सी. राज. 419 एवं परमजीत बनाम राज्य एस.बी.सिविल रिवीजन नं. 1810/2008 का उल्लेख करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 9ए(4) के अनुसार निगरानी प्रस्तुत करने के लिये आक्षेपित आदेश के अधीन मांग राशि का 75 प्रतिशत भाग जमा कराया जाना अनिवार्य है।<br><br>यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विद्वान आबकारी आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 11.05.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश विद्वान आबकारी आयुक्त द्वारा मूल अधिकारिता के अधीन पारित किया गया है न कि अपीलीय अधिकारिता के अधीन। आबकारी अधिनियम की धारा 9A (1)(b) के अनुसार उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील की जा सकती है न कि रिवीजन। जबकि प्रार्थी द्वारा विद्वानआबकारी आयुक्त के मूल अधिकारिता के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की<br><br>लगातार.....2. | |

गयी है जो आबकारी अधिनियम की धारा 9A के प्रावधानों के अधीन पोषणीय नहीं है।

यदि एक क्षण के लिये उक्त रिवीजन को अपील भी माना जाये तब अधिनियम की धारा 9A(4) के अनुसार कुल मांग राशि का 75 प्रतिशत जमा कराया जाना अनिवार्य हैं जो कि प्रार्थी द्वारा जमा नहीं करवाया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से ग्राहिता के प्रकम (Admission Stage) पर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

07/09/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर